

रूप-पत्र 39

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 85 का उपनियम (16) देखिये)

ऐसे घोषणा पत्रों के, जो रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा अभ्यर्पित तथा व्यापार छकर अधिकारी द्वारा रद्द किये जाये, सम्बन्ध में नका जाने वाला रजिस्टर

दिनांक	रूप-पत्रों को क्रमसंख्या	रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र की संख्या तथा वाले व्यापारी का से तक दिनांक	अभ्यर्पित किये गये रूप-पत्रों वैधता का
1	2	3	4
6			5

रूप-पत्र 38 में के व्यापारी के खाते दिनांक का अभिदेश जिसमें रूप-पत्रों अभ्यर्पित रूप-पत्रों निस्तारित की प्रविष्टि की गयी हो सम्बन्धी	रूप-पत्रों को अभ्यर्पित करने का कारण	व्यापार कर अधिकारी / व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 के हस्ताक्षर	सम्बद्ध अधिकारी हस्ताक्षर तथा सहित अभ्यर्पित को नष्ट या करने के ब्योरे अभ्युक्ति
7	8	9	10